



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
 CHANGE**
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional Office,
 Chandigarh**



मिसिल संख्या -: 9-HRB092/2021-CHA

दिनांक: 25-06-2021

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
 हरियाणा सरकार,
 हरियाणा सिविल सचिवालय,
 चण्डीगढ़ - 160001(fcforest@hry.nic.in)

विषय:- Diversion of 3.646 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, PWD Provincial Division B&R Br., Hisar for 4 laning of Hisar-Mangali Sharwa road from RD 0 to 2.730, Southern Periphery road Hisar to city limit in Hisar, under forest division and District Hisar, Haryana (Online proposal no. FP/HR/ROAD/51036/2020).

संदर्भ: i). प्र०मु०वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9763/1739 दिनांक 10.06.2021.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **3.646** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- Cost of compensatory afforestation may be deposited after removing item of tractor/trolley and rationalizing item of making sign boards for forest awareness.
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।
- User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.
- वन मण्डल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।
- नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।
- User Agency shall ensure that no other proposal in the division, for which Stage-I has already been granted in the past, is still pending for compliance of conditions of Stage-I approval. An Undertaking to this effect that **"no such proposal for compliance of conditions of Stage-I approval is pending**

with this division" be submitted. Compliance of the same will be mandatory for the final clearance of this proposal by this office.

- viii. The State Govt. shall not issue temporary working permission until the entire compensatory levies are deposited by User Agency and confirmed online on Ministry's web-portal.
- ix. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.
- x. Original copy of FRA certificate to be provided/uploaded.
- (B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-
- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
 - प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 266 से अधिक नहीं होगी।
 - वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।
 - नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण र कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।
 - वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
 - साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
 - जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
 - स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
 - केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
 - वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
 - प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
 - यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1980, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
 - कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
 - अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।
 - यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

-sd-

(सी० डी० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।(adgfc-mef@nic.in)
2. The Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF), Department of Forests, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The CCF-cum-Nodal Officer (FCA), Department of Forests, Government of Haryana , C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana (cffcpanchkula@gmail.com)
4. CEO, CAMPA O/o PCCF (HoFF), Department of Forests, Government of Haryana , C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.(www.haryanacampa@gmail.com)
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Hisar, Haryana (dfo.hsr-hry@nic.in,dfohisar.t@gmail.com)
6. The Executive Engineer, PWD Provincial Division B&R Br., Hisar (pwdhisar2017@gmail.com)